

मानक समाचार

भारतीय मानक ब्यूरो का मासिक न्यूज़लेटर | 18वां संस्करण | सितंबर 2026



ऑस्ट्रेलिया-भारत मानक व्यापार सुगम परियोजना: क्षेत्र-विशिष्ट मानकों में सामंजस्य के लिए बीआईएस और एसए की साझेदारी

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और स्टैंडर्ड्स ऑस्ट्रेलिया (एसए) ने संयुक्त रूप से 19 से 21 अगस्त 2026 तक राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस), नोएडा में ऑस्ट्रेलिया-भारत मानक व्यापार सुगम परियोजना (एआई-एसटीईपी) के अंतर्गत तीन दिवसीय तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन किया।

इस द्विपक्षीय पहल में नीति-निर्माताओं, संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य तीन तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों - डेटा सेंटर, पालतू पशु आहार की सुरक्षा तथा ग्रीन हाइड्रोजन में तकनीकी संवाद को मज़बूत करना, ज्ञान एवं अनुभवों का आदान-प्रदान करना तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया को गति देना था।



कार्यशालाओं का शुभारंभ बीआईएस के अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग की प्रमुख सुश्री नताशा डोगर और स्टैंडर्ड्स ऑस्ट्रेलिया के अंतरराष्ट्रीय प्रमुख श्री जेसी रिडल के प्रारंभिक संबोधनों से हुआ। इसके बाद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए बीआईएस के अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के उप महानिदेशक श्री रजनीश खोसला ने कार्यशाला को संबोधित किया।

19 अगस्त 2026 को आयोजित **डेटा सेंटर मानक कार्यशाला** में ऑस्ट्रेलिया और भारत में मानकों की स्थिति, डेटा सेंटर अवसरचना, ऊर्जा दक्षता, बिजली एवं गैस की आवश्यकताओं, क्लाउड कंप्यूटिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, उभरती प्रौद्योगिकियों, उद्योग में मानकों को अपनाने तथा हितधारकों की भागीदारी जैसे विषयों पर चर्चा की गई। स्टैंडर्ड्स ऑस्ट्रेलिया में विद्युत एवं गैस की राष्ट्रीय प्रबंधक सुश्री तामिका डार्टनल-मूर ने ऑस्ट्रेलिया में डेटा सेंटरों के लिए ऊर्जा की स्थिति पर व्यावहारिक जानकारी साझा की। वहीं, श्राइडर इलेक्ट्रिक में डेटा सेंटर प्रौद्योगिकियों के प्रमुख श्री अभिषेक शर्मा और बीआईएस के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक श्री देवांश देवलेकर ने भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

20 अगस्त 2026 को आयोजित **पालतू पशु आहार मानक कार्यशाला** में पालतू पशु आहार की स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा तथा मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान गॉर्डरज पेट केयर के अनुसंधान एवं विकास प्रमुख डॉ. अशोक पटनायक ने उद्योग का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। बीआईएस के खाद्य एवं कृषि विभाग की प्रमुख सुश्री सुनीति टोटेजा और सुश्री मिशेल लैंग ने क्रमशः भारत और ऑस्ट्रेलिया के नियामक दृष्टिकोण साझा किए। कार्यशाला का उद्देश्य ज्ञान एवं अनुभवों का आदान-प्रदान तथा दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था।

21 अगस्त 2026 को आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन कार्यशाला में भारत और ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों एवं हितधारकों ने भाग लिया। इसमें खाना पकाने के लिए हाइड्रोजन के उपयोग से संबंधित जानकारी साझा की गई तथा इसके सुरक्षित और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने में मानकों की भूमिका पर चर्चा की गई। बीआईएस के रसायन विभाग के प्रमुख श्री अजय तिवारी और स्टैंडर्ड्स ऑस्ट्रेलिया की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री क्लेयर मैकफारलैंड ने अपने विचार साझा किए। एडिलेड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल मेडवेल ने भी इस विषय पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के मानकीकरण संबंधी दृष्टिकोण प्रस्तुत किए।



"डेटा सेंटर, पालतू पशुओं के भोजन और हरित हाइड्रोजन पर केंद्रित 'ऑस्ट्रेलिया-भारत स्टैंडर्ड्स ट्रेड इनेबलिंग प्रोजेक्ट' के तहत आयोजित तकनीकी कार्यशालाएँ यह सुनिश्चित करने में सहायक हैं कि मानकों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाया जाए, सीमापार नवाचार को बढ़ावा मिले और पारस्परिक आर्थिक विकास को गति मिले।

रॉड बाल्डिंग
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टैंडर्ड्स ऑस्ट्रेलिया

आयुष क्षेत्र में भारतीय मानकों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग और आयुष मंत्रालय की पहल

आयुष मानकों के कार्यान्वयन, प्रचार-प्रसार और व्यापक स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए 5 अगस्त 2026 को उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव सुश्री निधि खरे और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा की सह-अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में समन्वित जनसंपर्क एवं जागरूकता पहलों के माध्यम से उपभोक्ताओं, उद्योग और अन्य हितधारकों के बीच आयुष मानकों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।



बैठक में बीआईएस के महानिदेशक श्री संजय गर्ग तथा उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त सचिव श्रीमती ऋचा मिश्रा भी उपस्थित थीं। बैठक में प्रमुख आयुष विनिर्माताओं को बीआईएस अनुरूपता मूल्यांकन रूपरेखा की स्कीम-2 के अंतर्गत बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इससे आयुष उत्पादों में गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकों के अनुपालन को बढ़ावा देने तथा उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

विचार-विमर्श में एकल-जड़ी-बूटियों से संबंधित मानकों के लिए परीक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करने, संबंधित प्रकाशित भारतीय मानकों के साथ ऐसी प्रयोगशालाओं की मैपिंग करने तथा बीआईएस द्वारा संभावित रूप से अपनाए जाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित वनस्पति संदर्भ मानकों की समीक्षा करने पर भी चर्चा की गई।

बीआईएस और आयुष मंत्रालय संयुक्त रूप से उत्पाद विकास के प्रारंभिक चरण से ही मानकों और गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को शामिल करके आयुष स्टार्ट-अप को सहयोग प्रदान करेंगे। योग प्रमाणन बोर्ड बीआईएस के योग संबंधी मानकों को व्यापक रूप से अपनाने में सहायता करेगा तथा योग उत्पादों और सेवाओं में मानकीकरण के नए क्षेत्रों की पहचान करेगा। आयुष मंत्रालय अपनी खरीद नीतियों और निविदा विनिर्देशों में प्रासंगिक बीआईएस मानकों को शामिल करने पर विचार करेगा।

अन्य प्रमुख खबरें

समाचारों में मानक	02
IS 19625:2026: प्रदर्शनी के आयोजन के लिए आवश्यकताएं और सिफारिशें	
विकासधीन मानक	03
बंदरगाहों और पत्तनों पर भारतीय मानक	
विशेष लेख	04-05
भारतीय मानकों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में गुणवत्ता को बढ़ावा	
अनुरूपता मूल्यांकन	06
बीआईएस की उत्तरी क्षेत्रीय प्रयोगशाला (एनआरएल) में अग्निरोगी प्लाईवुड के लिए नई परीक्षण सुविधा शुरू	
उद्योग - शैक्षणिक संस्थान साझेदारी	07
आयुर्वेद के लिए वैश्विक गुणवत्ता मानक स्थापित करने हेतु सीसीआरएस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर	
मानकीकरण पर ओडिशा में राज्य-स्तरीय समिति (एसएलसी) की तीसरी बैठक	
मानक संवर्धन	08
लेह, लद्दाख के विनिर्माताओं के साथ एमएसएमई बैठक	
स्पोर्ट्स फुटवियर, सैंडल और स्लिपर के लिए भारतीय मानकों पर 'मानक मंथन'	

समाचारों में मानक

अधिसूचित गुणवत्ता मानक

बीआईएस अपने भारतीय मानकों के संग्रह को लगातार विस्तृत और बेहतर बना रहा है। वर्तमान में 24,132 भारतीय मानक लागू हैं, जो सुरक्षित उत्पादों, सुदृढ़ उद्योगों और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगस्त 2026 में 17 नए मानक और 23 संशोधित मानक प्रकाशित किए गए, जबकि 6 भारतीय मानकों में संशोधन किया गया। हाल ही में प्रकाशित कुछ प्रमुख भारतीय मानकों में शामिल हैं

आयुष

IS 19901:2026

होम्योपैथी में प्रयुक्त बायोथेराप्यूटिक उत्पादों के सुरक्षित संचालन हेतु - दिशानिर्देश

IS 19897:2026

होम्योपैथिक मंदर टिंचर (हाइड्रो-अल्कोहॉलिक अर्क) - परीक्षण पद्धतियां

वस्त्र

IS 19763:2026

वस्त्रादि फर्शी आवरण - वायुगान के बुने हुए कालीन - विशिष्टि

IS 19783:2026

वस्त्रादि - 100 प्रतिशत नायलॉन बुना कपड़ा - विशिष्टि

IS 19822:2026

फाइबर रस्सियां - स्थिरवैद्युत सतह विभव मापन विधि

फोकस में मानक

IS 19879:2026 वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना तैयार करना - कार्य व्यवहार संहिता

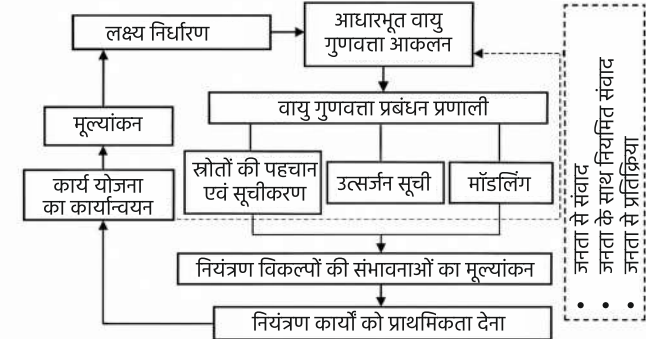
यह मानक किसी विशिष्ट क्षेत्र, स्थान या स्थल के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना (एक्यूएमपी) तैयार करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है, ताकि वायु गुणवत्ता के प्रभावी प्रबंधन के लिए उपयुक्त उपायों की पहचान कर उन्हें लागू किया जा सके।

सामान्य आवश्यकताएं

वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना (एक्यूएमपी) के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (एक्यूएमएस) स्थापित की जानी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख घटक शामिल हों:

- उत्सर्जन सूची:** संबंधित क्षेत्र में वायु प्रदूषण और उत्सर्जन के स्रोतों की विस्तृत सूची तैयार की जानी चाहिए। इसमें स्थिर, मोबाइल, प्राकृतिक तथा अन्य स्रोत शामिल होने चाहिए।
- निगरानी नेटवर्क:** नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, गुणवत्ता आश्वासन एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं के साथ परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए।
- मॉडलिंग उपकरण:** प्रदूषकों के परिवहन, प्रसार, रुपांतरण तथा स्रोत-विभाजन का आकलन करने के लिए प्रसार मॉडल और रिसेप्सर मॉडल का उपयोग किया जा सकता है।
- नियामक ढांचा:** वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (एक्यूएमएस) को राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) और अन्य संबंधित नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
- संचार प्रणाली:** वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना (एक्यूएमपी) के अंतर्गत लागू किए जाने वाले नियंत्रण उपायों के प्रति जनता और हितधारकों की स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी एवं सक्षम संचार प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।
- संसाधन:** वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (एक्यूएमएस) के प्रमुख घटकों के प्रभावी प्रबंधन और समन्वय के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। इनमें विशेषज्ञों की टीम और आवश्यक वित्तीय संसाधन शामिल हैं।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना की प्रक्रिया



अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस	
मानक/उत्पाद	लाइसेंसी
IS 19497:2026 सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और गैस शील्डेड आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कार्बन एवं निम्न-मिश्र धातु इस्पात वायर रॉड्स	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

IS 19879: 2026

वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना तैयार करना - कार्य व्यवहार संहिता

IS 19880:2026

प्लास्टिक अपशिष्ट पायरोलिसिस में वायु प्रदूषण नियंत्रण - रीति संहिता

IS 19881:2026

परिवेशी वायु प्रदूषण की आत्मसाती एवं वहन क्षमता का आकलन - कार्यप्रणाली

खाद्य एवं कृषि

IS 19887:2026

मोनोकैल्सियम फॉस्फेट, पशु आहार ग्रेड - विशिष्टि

कार्यान्वयन में मानक

IS 19625:2026: प्रदर्शनी के आयोजन के लिए आवश्यकताएं और सिफारिशें

IS 19625:2026 प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है, जिसमें योजना, संचालन, सुविधाएं, सुरक्षा, सुगम पहुंच और सततता जैसे प्रमुख पहलू शामिल हैं। इसमें प्रदर्शनी आयोजकों और सेवा प्रदाताओं के लिए आवश्यकताएं एवं सिफारिशें दी गई हैं। प्रमुख क्षेत्रों में स्थल का चयन, बुनियादी ढांचा, सुरक्षा, आपातकालीन तैयारी और आयोजन के बाद स्थल की सफाई और पुनर्स्थापन शामिल हैं।

सामान्य आवश्यकताएं

आयोजकों को जोखिम प्रबंधन, संवाद, सुगम पहुंच और समावेशिता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रमुख आवश्यकताओं में शामिल हैं:

- लागू कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं का पालन
- जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और उन्हें कम करना
- प्रदर्शकों, आगंतुकों और सेवा प्रदाताओं के साथ स्पष्ट संचार
- विशेष ज़रूरतों वाले लोगों के लिए सुलभ सुविधाएं
- प्रक्रियाओं, समय-सारणी और कार्यबल की तैनाती के बारे में लिखित जानकारी रखना

परिचालन संबंधी आवश्यकताएं

आयोजकों को समर्पित दलों का गठन करना चाहिए, जिम्मेदारियां निर्धारित करनी चाहिए तथा प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। इसमें प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता, प्रभावी समन्वय, प्रलेखित परिचालन योजनाएं, पर्याप्त जनशक्ति और नियमित निगरानी शामिल हैं।

सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन आयोजन के संचालन का अभिन्न हिस्सा हैं। आयोजकों को प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मियों, निगरानी प्रणालियों, अग्नि सुरक्षा उपकरणों, आपातकालीन निकास तथा लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रियाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। आपातकालीन योजनाओं में आग लगने, बिजली की खराबी, दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध शामिल होने चाहिए।

प्रदर्शनी की योजना, सेवाएं और सुविधाएं

योजना में आयोजन स्थल का विन्यास, बूथों के लिए स्थान, आगंतुकों की आवाजाही, कार्यक्रम-सारणी, संसाधन, पूर्व-पंजीकरण, आपदा प्रबंधन तथा सेवा प्रदाताओं की व्यवस्था जैसी आवश्यक बातें शामिल होनी चाहिए। सुविधाओं में प्रदर्शनी और आवाजाही के लिए पर्याप्त स्थान, पंजीकरण एवं बैठक क्षेत्र, शौचालय, पेयजल, खान-पान की सुविधा, इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, निगरानी कैमरे, सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, सफ-सफाई तथा कचरा निपटान की व्यवस्था शामिल होनी चाहिए।



सततता

यह मानक कचरे के पृथक्करण और उसके जिम्मेदारीपूर्वक निपटान, कम ऊर्जा खपत वाली प्रकाश व्यवस्था एवं उपकरणों, पुनः उपयोग किए जा सकने वाले बूथ और प्रचार सामग्री, डिजिटल टिकट एवं संकेतक, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने तथा जल-बचत वाली फिटिंग के माध्यम से सततता को प्रोत्साहित करता है।

विकासाधीन मानक

बैठक विशेष: CED 47 बंदरगाह और पत्तन अनुभागीय समिति की 21वीं बैठक

25 अगस्त 2026 को CED 47 की 21वीं बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता चेन्नई के डॉ. आर. सुंदरवदिवेलु ने की।

CED 47 का कार्यक्षेत्र

विशेष रूप से निम्नलिखित से संबंधित मानक, संहिताएं और सिफारिशें तैयार करना:

- बंदरगाह, पत्तन एवं अन्य सहायक संरचनाएं
- अपतटीय संरचनाएं

महत्वपूर्ण निर्णय

प्रकाशन हेतु निम्नलिखित भारतीय मानक को अंतिम रूप दिया गया

IS 4651 (भाग 6): बंदरगाहों और पत्तनों की योजना एवं डिजाइन - कार्य व्यवहार संहिता, भाग 6: ब्रेकवाटर (नया मानक)

ब्रेकवाटर बंदरगाहों और हार्बर अवसंरचना के महत्वपूर्ण घटकों में से एक हैं। ये लहरों, जलधाराओं और तूफानों से उत्पन्न बलों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे सुरक्षित नौवहन, जहाजों की बर्थिंग और कार्गो हैंडलिंग सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। यह मानक ब्रेकवाटर के प्रकार के चयन, लेआउट की योजना, डिजाइन संबंधी प्रावधानों, जलगतिकीय एवं भू-तकनीकी पहलुओं, संरचनात्मक स्थिरता, निर्माण विधियों, सामग्री, निगरानी और रखरखाव के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।

बंदरगाहों और हार्बर संरचनाओं का डिजाइन और निर्माण - कार्य-विधि संहिता (भाग 1) मरीन कंक्रीट पाइल (नया मानक)

यह मानक समुद्री संरचनाओं के लिए कंक्रीट पाइल्स के डिजाइन, निर्माण और भार परीक्षण हेतु दिशानिर्देश प्रदान करता है। इसमें ऐसी पाइल्स भी शामिल हैं, जो अंत्य भार-वहन, शाफ्ट घर्षण या दोनों के संयोजन के माध्यम से भार को आधारभूत मिट्टी तक स्थानांतरित करती हैं।

आईएसओ पर्यवेक्षक (O) सदस्य के साथ संपर्क

ISO TC 67/SC 7 - अप-तटीय संरचनाएं



भारतीय मानकों का विकास

अग्रलिखित मानकों के विकास पर कार्य जारी है - IS 4651 (भाग 7) - तटीय संरचनाओं पर जलगतिकीय बल और उनके प्रभाव, IS 9527 (भाग 2) - समुद्री स्टील पाइल, IS 9527 (भाग 3) - स्टील शीट पाइल, IS 9527 (भाग 4) - ब्लॉक निर्माण कार्य, IS 9527 (भाग 5) - पोत निर्माण और मरम्मत सुविधाएं (ड्राई डॉक, वेट डॉक और स्लिपवे सहित), IS 9527 (भाग 6) - अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए नदीय बंदरगाह/जेट्टी (फ्लोटिंग जेट्टी आदि सहित)

व्यापक परिचालानाधीन मसौदे

बीआईएस मानकीकरण के लिए अपने समावेशी दृष्टिकोण को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। इसी के तहत नए, संशोधित और सुधारित मानकों से संबंधित व्यापक प्रसार हेतु ड्राफ्ट पर हितधारकों से सुझाव एवं टिप्पणियाँ आमंत्रित की जा रही हैं। सितंबर 2026 में व्यापक प्रसार के लिए जारी कुछ प्रमुख ड्राफ्ट इस प्रकार हैं -

व्यापक प्रसार हेतु ड्राफ्ट: फोकस

'अनफायर्ड प्रेशर वेसल्स कोड ऑफ़ इंडिया' का ड्राफ्ट, 'IS 2825: 1969 कोड ऑफ़ अनफायर्ड प्रेशर वेसल्स' का संशोधित रूप है। इसमें प्रेशर वेसल के डिजाइन, मैनुफैक्चरिंग और सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए अपडेटेड तकनीकी जरूरतों को शामिल किया गया है। इसके प्रमुख बदलावों में आज की इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के आधार पर संशोधित डिजाइन प्रावधान तथा परफॉर्मेंस, विश्वसनीयता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अपडेटेड मटीरियल की जरूरतें शामिल हैं। बेहतर क्वालिटी और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए मैनुफैक्चरिंग और कारीगरी से जुड़े प्रावधानों को भी मजबूत किया गया है। ड्राफ्ट में बेहतर अनुरूपता मूल्यांकन और ट्रेसिबिलिटी में मदद के लिए निरीक्षण और टेस्टिंग के साथ-साथ मार्किंग और रिकॉर्ड रखने की जरूरतों को भी अपडेट किया गया है।

एक महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर 'सस्टेनेबिलिटी' को एक नए आयाम के रूप में शामिल किया गया है, जो प्रेशर ड्रिचिपमेंट के लाइफ़साइकिल मैनेजमेंट पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है।

सितंबर 2026 में परिचालानाधीन कुछ मसौदे निम्नलिखित हैं

आयुष

- मुंडुलिया सीरीशिया (Willd.)A. chev. की जड़ की छाल पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए - विशिष्टता
- बेनकारा मालाबारिका (Lam.)Tirveng. की जड़ की छाल पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए - विशिष्टता

सिविल इंजीनियरिंग

- लकड़ी (टिम्बर) के कटे हुए आकार (कट साइज़) - विशिष्टता
- लकड़ी (टिम्बर) के तंबू के हथौड़े (टेंट मैलेट) - विशिष्टता
- पीवीसी हैंडरेल कवर - विशिष्टता

बीआईएस व्यावसायिक विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, उद्योग जगत और उपभोक्ताओं से अनुरोध करता है कि वे ड्राफ्ट पोर्टल पर जाकर अपने सुझाव एवं टिप्पणियाँ सक्रिय रूप से साझा करें।

रसायन

- सीलिंग वैक्स - विशिष्टता
- श्वसन सुरक्षा उपकरण (भाग 3) फ्रेश एयर होज़ और कंप्रेसड एयर लाइन ब्रीथिंग एपरेट्स
- सॉल्वेंट-बॉर्न पॉलीयुरेथेन आधारित सर्फैसर (टू पैक) - विशिष्टता
- कोल तार एपॉक्सी पेंट, टू पैक (बेस और हार्डनर) - विशिष्टता
- स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर - सुरक्षा संहिता (कोड ऑफ़ सेफ्टी)
- पेपर साइज़ - विशिष्टता



लेड-सेफ एल्युमीनियम कुकवेयर

बीआईएस-सर्टिफाइड ही चुनें

IS 1660:2024 रॉट और कास्ट एल्युमीनियम के बर्तन

ग्राहक  मार्क देखें - बीआईएस केयर ऐप से इसकी पुष्टि करें

निर्माता शुद्ध धातु का उपयोग करें - हर चरण पर गुणवत्ता सुनिश्चित करें

व्यापारी और स्क्रेप डीलर सर्टिफाइड स्टॉक बेचें - भरोसा बनाएं और सुरक्षित रहें

भारतीय मानकों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में गुणवत्ता को बढ़ावा

भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में सरकारी खरीद के लिए गुणवत्ता और मानकों से जुड़े स्पष्ट नियमों का होना आवश्यक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 25% हिस्सा सरकारी खर्च का होता है। यह खर्च ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी नेटवर्क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर प्राइमरी हेल्थकेयर, पानी की सप्लाई, हाउसिंग, सरकारी शिक्षा और म्युनिसिपल सफाई जैसे अहम राष्ट्रीय क्षेत्रों में होता है। सरकारी विभागों और संस्थाओं द्वारा खर्च किए गए हर रुपये के साथ जनहित की रक्षा करने और गुणवत्ता को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जुड़ी होती है। पहले अलग-अलग तरह की स्पेसिफिकेशन, मनमानी टेक्निकल जांच, मनमानी और जानकारी की कमी के कारण सरकारी खरीद की प्रक्रिया अक्सर सुव्यवस्थित नहीं होती थी। भारत ने सरकारी खरीद और कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए स्टैंडर्डाइजेशन को एक जरूरी आधार बनाकर इन कमियों को धीरे-धीरे दूर किया है।

इस बदलाव के केंद्र में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) है, जिसे 'भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016' के तहत भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था के तौर पर स्थापित किया गया था। बीआईएस भारतीय मानक (IS) बनाता है, जो 24,000 से अधिक भारतीय मानकों में कड़े टेक्निकल बेंचमार्क, टेस्ट प्रोटोकॉल, सुरक्षा जरूरतें और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स तय करते हैं। जब इन मानकों को सरकारी खरीद में शामिल किया जाता है, तो ये एक निष्पक्ष, तटस्थ और वैज्ञानिक आधार के तौर पर काम करते हैं। भारतीय मानक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, भारत सरकार की योजनाओं, राष्ट्रीय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, औद्योगिक नीति और डिजिटल गवर्नेंस के बीच एक मजबूत कड़ी बनती है। 'जल जीवन मिशन' के तहत मानक सुरक्षित पीने के पानी, पाइपलाइन और पानी की सप्लाई सिस्टम में मदद करते हैं। 'पीएम सूर्य घर योजना' को सोलर PV मॉड्यूल, इन्वर्टर और इलेक्ट्रिकल सुरक्षा से जुड़े मानकों से मदद मिलती है। 'पीएम आवास योजना' को सीमेंट, स्टील, ईट, निर्माण सामग्री और निर्माण के तरीकों से जुड़े मानकों से फायदा मिलता है। वहीं, 'पीएम उज्ज्वला योजना' को एलपीजी सिलेंडर, रेगुलेटर, गैस स्टोव और घरेलू एलपीजी इंस्टॉलेशन से जुड़े मानकों से मदद मिलती है। सरकारी टेंडर में भाग लेने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन को जरूरी बनाकर भारत सरकार ने एक मजबूत क्वालिटी इकोसिस्टम बनाया है। यह इकोसिस्टम 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों के तहत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की विश्वसनीयता को मजबूत करता है।

सरकारी खरीद में भारतीय मानकों के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली सरकारी नीतियां

जनरल फाइनेंशियल रूल्स (जीएफआर), 2017 पब्लिक प्रोक्योरमेंट (सरकारी खरीद) से जुड़े बुनियादी नियम तय करते हैं। ये नियम खरीद करने वाले अधिकारियों पर दक्षता, किफायतीपन, पारदर्शिता, सप्लायर्स के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही डालते हैं। नियम 144 के तहत, जहां भी लागू हो, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स (तकनीकी मानक) भारतीय मानकों पर आधारित होने चाहिए, बशर्ते ऐसे मानक मौजूद हों। यह प्रावधान सरकारी खरीद के स्पेसिफिकेशन्स में भारतीय मानकों को शामिल करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत आधार प्रदान करता है। लागू भारतीय मानक का हवाला देकर, खरीद करने वाली संस्थाएं गुणवत्ता, परफॉर्मेंस, सुरक्षा, डाइमेंशन्स, टेस्टिंग और अनुरूपता से जुड़ी निष्पक्ष और मापने योग्य जरूरतें तय कर सकती हैं। इससे अस्पष्टता कम होती है और अनावश्यक रूप से प्रतिबंधात्मक या ब्रांड-विशिष्ट स्पेसिफिकेशन्स से बचने में मदद मिलती है। इस प्रकार, यह नियम मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मानकों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ खरीद की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक लचीलापन भी प्रदान करता है।

मानकीकरण के लिए राज्य-स्तरीय सहयोग व्यवस्था

इस प्रयास का एक अहम पहलू मानकीकरण पर राज्य-स्तरीय समिति की बैठकों के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करना है। वरिष्ठ अधिकारियों - जिनमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विभागों के प्रमुख और खरीद अधिकारी शामिल हैं - को जागरूक करने से मानकीकरण को केवल एक अलग-थलग तकनीकी गतिविधि के बजाय एक संस्थागत प्राथमिकता के रूप में स्थापित करने में मदद मिलती है। इस स्तर पर चर्चाएँ मुख्य रूप से सभी विभागों में भारतीय मानकों को अपनाने, खरीद से जुड़े नियमों और स्पेसिफिकेशन में मानकों को शामिल करने, टेस्टिंग और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने तथा अनुरूपता-मूल्यांकन व्यवस्थाओं के अधिक उपयोग पर केंद्रित होती हैं। राज्य स्तर पर बीआईएस का सहयोग, विशेष रूप से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और नागरिकों से जुड़ी अन्य परियोजनाओं में, विभागीय खरीद प्रक्रियाओं के साथ मानकों को एकीकृत करने के लिए आवश्यक संस्थागत दिशा-निर्देश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

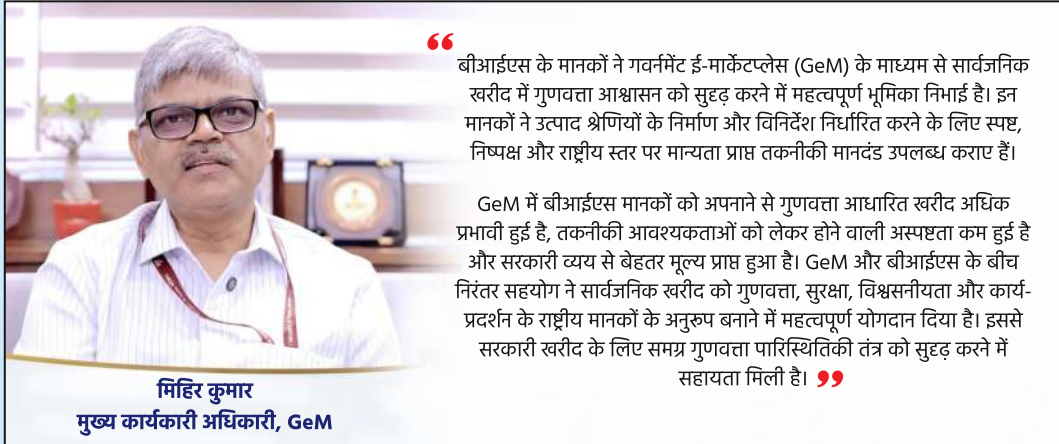
मानक आधारित खरीद तभी पूरी तरह सफल हो सकती है, जब खरीद प्रक्रिया के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तैयार करने वाले, बोलियों का मूल्यांकन करने वाले, सप्लाई की जांच करने वाले और पब्लिक एसेट का प्रबंधन करने वाले अधिकारी भारतीय स्टैंडर्ड्स की अहमियत को समझें। इसी उद्देश्य से बीआईएस अलग-अलग राज्य सरकार के विभागों और पब्लिक एजेंसियों के लिए उनकी खरीद की जरूरतों के अनुरूप जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। देशभर में बीआईएस के टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पीडब्ल्यूडी), पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (पीएचईडी), बिजली और ऊर्जा विभाग, कस्टम, शिक्षा विभाग, पुलिस तथा अन्य विशेष एजेंसियों को जागरूक कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य संबंधित अधिकारियों को सही भारतीय स्टैंडर्ड्स की पहचान करने, बीआईएस सर्टिफिकेशन और कन्फॉर्मिटी-असेसमेंट के नियमों को समझने तथा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और खरीद से जुड़े डॉक्यूमेंट्स में सही स्टैंडर्ड्स को शामिल करने में सक्षम बनाना है।

राज्य की खरीद नीतियों और नियमावली में मानक

सार्वजनिक खरीद में भारतीय मानकों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जरूरी है कि उन्हें न केवल अलग-अलग टेंडर में, बल्कि राज्य सरकारों के खरीद नियमावली और स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में भी शामिल किया जाए। राज्य के खरीद नियमावली वह ढांचा प्रदान करते हैं, जिसका पालन विभाग और सार्वजनिक एजेंसियां सामान, काम और सेवाओं की खरीद के लिए करती हैं। इन मैनुअल में सही भारतीय मानकों को शामिल करने से विभिन्न विभागों और परियोजनाओं में खरीद के लिए एक समान तकनीकी आधार तैयार होगा। इससे अलग-अलग खरीद करने वाली संस्थाओं के बीच विशिष्टता में अंतर को कम करने, टेंडर डॉक्यूमेंट्स में अस्पष्टता घटाने तथा अधिक पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। बीआईएस राज्य सरकारों के साथ मिलकर उन प्रोडक्ट कैटेगरी की पहचान करता है, जिनकी अक्सर खरीद की जाती है और उनके स्पेसिफिकेशन तय करने में मदद करता है। वर्तमान में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों के प्रमुख पीडब्ल्यूडी मैनुअल में बीआईएस के नियमों का पालन करना स्पष्ट रूप से आवश्यक बताया गया है।

गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM): भारतीय मानकों के अनुरूप

गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट (सरकारी खरीद) के साथ स्टैंडर्डाइजेशन को जोड़ने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। बीआईएस, GeM के अधिकारियों के साथ मिलकर भारतीय मानक, बीआईएस सर्टिफिकेशन स्कीम, लाइसेंसिंग की जरूरतों और कम्पॉर्मिटी-असेसमेंट (मानक-अनुरूपता जांच) के तरीकों के बारे में उनकी समझ को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। इस तरह के जुड़ाव और प्रशिक्षण से प्रोक्योरमेंट-प्लेटफॉर्म के प्रशासक स्टैंडर्ड्स के तकनीकी महत्व को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और उन्हें प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटलॉग स्पेसिफिकेशन तथा खरीद प्रक्रियाओं में सही तरीके से शामिल कर पाते हैं। बीआईएस और GeM के बीच लगातार बातचीत से यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि प्लेटफॉर्म पर तकनीकी विशिष्टता मौजूदा भारतीय स्टैंडर्ड्स, उनमें किए गए बदलावों और लागू सर्टिफिकेशन की जरूरतों के अनुरूप बने रहें। मानकों पर आधारित डिजिटल खरीद की दिशा में एक अहम कदम GeM पर उपलब्ध प्रोडक्ट्स को संबंधित भारतीय स्टैंडर्ड्स के साथ मैप करना है। **बीआईएस ने GeM पर सूचीबद्ध लगभग 4,000 प्रोडक्ट्स/प्रोडक्ट वर्ग की मैपिंग लागू भारतीय मानकों के आधार पर की है।** इस कार्य ने देश के सबसे बड़े पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केटप्लेस पर लिस्टेड प्रोडक्ट्स और भारत के राष्ट्रीय स्टैंडर्डाइजेशन फ्रेमवर्क के बीच एक कड़ी का काम किया है। इस तरह की मैपिंग से खरीदारों को विशिष्टता तैयार करते समय संबंधित राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स की पहचान करने में मदद मिली है। इससे भविष्य में ऑटोमेशन की भी काफी संभावनाएँ बनती हैं, जैसे मशीन-रीडेबल स्टैंडर्ड्स रेफरेंस, कम्पॉर्मिटी वेरिफिकेशन तथा बदले गए या पुराने हो चुके स्टैंडर्ड्स से जुड़े अलर्ट।



“बीआईएस के मानकों ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में गुणवत्ता आश्वासन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन मानकों ने उत्पाद श्रेणियों के निर्माण और विनिर्देश निर्धारित करने के लिए स्पष्ट, निष्पक्ष और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तकनीकी मानदंड उपलब्ध कराए हैं।

GeM में बीआईएस मानकों को अपनाने से गुणवत्ता आधारित खरीद अधिक प्रभावी हुई है, तकनीकी आवश्यकताओं को लेकर होने वाली अस्पष्टता कम हुई है और सरकारी व्यय से बेहतर मूल्य प्राप्त हुआ है। GeM और बीआईएस के बीच निरंतर सहयोग ने सार्वजनिक खरीद को गुणवत्ता, सुरक्षा, विश्वसनीयता और कार्य-प्रदर्शन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे सरकारी खरीद के लिए समग्र गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता मिली है।”

भारतीय मानक विकास में खरीद एजेंसियों की भागीदारी

मानकों को वास्तविक उपभोक्ता या सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी बनाने के लिए खरीद एजेंसियों के अनुभवों को मानक विकास की प्रक्रिया तक पहुंचाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से बीआईएस खरीद संगठनों, GeM अधिकारियों, सरकारी विभागों और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं की बीआईएस की तकनीकी समितियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इनकी भागीदारी से सरकार द्वारा नियमित रूप से खरीदे जाने वाले उत्पादों, बार-बार सामने आने वाली गुणवत्ता संबंधी समस्याओं, प्रदर्शन संबंधी आवश्यकताओं, क्षेत्रीय अनुभवों और उभरती तकनीकी जरूरतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इससे खरीद और मानकीकरण के बीच एक प्रभावी फीडबैक व्यवस्था विकसित होती है। खरीद से प्राप्त अनुभव मानकों के विकास या संशोधन में उपयोगी होता है, जबकि इनसे तैयार मानक भविष्य की खरीद के लिए बेहतर तकनीकी आधार उपलब्ध कराते हैं। तकनीकी समितियों में खरीद एजेंसियों का अधिक प्रतिनिधित्व भारतीय मानकों को अधिक उत्तरदायी और प्रासंगिक बनाने में मदद करता है।

भारतीय मानकों को ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाना

यदि मानकीकरण केवल केंद्र और राज्य स्तर के संस्थानों तक सीमित रहे, तो क्वालिटी इकोसिस्टम को पूर्ण नहीं माना जा सकता। सरकारी खरीद और खर्च जमीनी स्तर पर, विशेष रूप से स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी होता है। बीआईएस ने बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके तहत दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को भारतीय मानक और बीआईएस सर्टिफिकेशन के बारे में जागरूक किया गया है। इस अभियान में क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स और कंज्यूमर अवेयरनेस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए बीआईएस ने एक सरल बुकलेट भी तैयार की है। इसमें ग्राम पंचायतों के लिए आवश्यक सामान्य उत्पादों और उनसे संबंधित इंडियन स्टैंडर्ड्स की जानकारी दी गई है। यह बुकलेट देशभर की ग्राम पंचायतों के अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है। इस तरह का संसाधन स्थानीय अधिकारियों को आम इस्तेमाल वाले उत्पादों और सेवाओं की खरीद के समय गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को समझने में मदद कर सकता है। स्टैंडर्ड्स को जमीनी स्तर तक पहुंचाकर बीआईएस यह जागरूकता बढ़ाने में मदद कर रहा है कि गुणवत्ता केवल बड़ी सरकारी खरीद का विषय नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी सरकारी खरीद का भी एक आवश्यक हिस्सा है।

गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को अनिवार्य बनाना: गुणवत्ता नियंत्रण आदेश

निर्दिष्ट उत्पादों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में भारतीय मानकों का प्रभाव और अधिक मजबूत होता है। सामान्यतः BIS प्रमाणन वैध होता है, लेकिन सरकार जनहित में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के माध्यम से चिन्हित उत्पादों के लिए निर्दिष्ट भारतीय मानकों के अनुरूपता को अनिवार्य कर सकती है। विशेष रूप से, जहां आम नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े विषय शामिल होते हैं, वहाँ ऐसे आदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, देश में घटिया सामग्री के प्रवेश और उसके प्रसार की रोकथाम या विनियमन के लिए एक आधारभूत व्यवस्था बन गए हैं। इसके माध्यम से घरेलू उद्योग और भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति को भी बढ़ावा मिलता है। ये आदेश यह सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम हैं कि बाजार में उपलब्ध कराए जाने वाले निर्दिष्ट उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करें। सार्वजनिक खरीद के लिए इससे यह अधिक मजबूत आश्वासन मिलता है कि ऐसे विनियमित वर्गों से संबंधित उत्पाद सरकारी आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होने से पहले निर्धारित तकनीकी और अनुरूपता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

दीपक अग्रवाल (सीनियर डायरेक्टर, साइंटिस्ट-एफ और हेड, एससीएमडी, बीआईएस) और डीएमएस श्रीनिवास (साइंटिस्ट-डी, एससीएमडी, बीआईएस)



अनुरूपता मूल्यांकन

बीआईएस उत्तरी क्षेत्रीय प्रयोगशाला में अग्निरुधी प्लाईवुड के लिए नई परीक्षण सुविधा शुरू

बीआईएस की उत्तरी क्षेत्रीय प्रयोगशाला (एनआरएल) ने राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी परीक्षण सुविधाओं को लगातार सुदृढ़ किया है। इसी दिशा में IS 5509:2021 - अग्निरुधी प्लाईवुड के लिए एक विशेष परीक्षण सुविधा स्थापित की गई है। अग्निरुधी प्लाईवुड का उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है, जहाँ आग लगने, जलने और आग की लपटों के प्रसार के प्रति अधिक प्रतिरोध आवश्यक होता है। एनआरएल में इस विशेष परीक्षण सुविधा की स्थापना से प्लाईवुड के अग्निरुधी गुणों का व्यापक मूल्यांकन तथा IS 5509:2021 की आवश्यकताओं के अनुरूपता की जाँच संभव हो गई है।

परीक्षण सुविधा की स्थापना

IS 5509:2021 में अग्निरुधी प्लाईवुड के लिए आवश्यकताओं, उपचार विधियों और कार्य-निष्पादन संबंधी मानदंडों को निर्धारित किया गया है। अग्नि संबंधी कार्य-निष्पादन की विशेष परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, प्लाईवुड की मौजूदा परीक्षण सुविधाओं के अतिरिक्त, एनआरएल ने निम्नलिखित परीक्षणों के लिए उपकरणों की खरीद एवं स्थापना की है -

1 - जलने की दर मापने का उपकरण

इस उपकरण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि प्लाईवुड के नमूने का भार 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक कम होने में कितना समय लगता है, जिससे निर्धारित परीक्षण विधि के अनुसार जलने की दर का आकलन किया जा सके।

2 - ज्वलनशीलता परीक्षण उपकरण

इस उपकरण का उपयोग नियंत्रित आग के संपर्क में आने के बाद प्लाईवुड के पुनः प्रज्वलित होने में लगने वाले समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। IS 5509:2021 में निर्धारित ज्वलनशीलता संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन इसी उपकरण के माध्यम से किया जाता है।

3 - अग्नि प्रवेश परीक्षण उपकरण

इस उपकरण का उपयोग प्लाईवुड की आग के प्रवेश को रोकने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। 6 मिमी तक मोटाई वाले प्लाईवुड के लिए न्यूनतम 15 मिनट की अग्नि-प्रतिरोध अवधि निर्धारित है। अधिक मोटाई वाले प्लाईवुड के लिए यह अवधि उसी अनुपात में बढ़ जाती है।

इन सभी उपकरणों को उचित सुरक्षा उपायों, निकास-वायु (एजॉस्ट) व्यवस्था और अंशांकन प्रोटोकॉल के साथ स्थापित एवं चालू किया गया है, ताकि विश्वसनीय, एकरूप और पुनरुत्पाद्य परीक्षण परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें।

परीक्षण सुविधा का महत्व

IS 5509:2021 के लिए विशेष परीक्षण सुविधा की शुरुआत से एनआरएल की अग्निरुधी प्लाईवुड के क्षेत्र में विशिष्ट परीक्षण क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह सुविधा निम्नलिखित कार्यों में सहायक होगी:

- IS 5509:2021 की आवश्यकताओं के अनुरूप अग्निरुधी प्लाईवुड की अनुरूपता का परीक्षण करना।
- प्रज्वलन क्षमता, आग के प्रसार और जलने की दर जैसी अग्नि संबंधी विशेषताओं का आकलन करना।
- निर्माताओं और अन्य हितधारकों को बीआईएस प्रमाणन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करना।
- NRL में विशेष अग्नि-प्रदर्शन परीक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ करना।
- विशेष उपकरणों और निर्धारित परीक्षण विधियों के माध्यम से विश्वसनीय और मानकीकृत परीक्षण सुनिश्चित करना।



बीआईएस एक्ट 2016 का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ बीआईएस की कार्रवाई

बीआईएस गाजियाबाद शाखा कार्यालय ने 19 अगस्त 2026 को मेरठ के दौराला स्थित एक इकाई के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई की। इस दौरान लगभग 1,795 गैस स्टोव, प्रेशर कुकर तथा खाना पकाने से संबंधित बर्तन एवं अन्य सामग्री जब्त की गई।



इसी प्रकार, बीआईएस जयपुर शाखा कार्यालय ने 11 अगस्त 2026 को जयपुर के वैशाली नगर स्थित नन्हा मुन्ना टॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 700 खिलौने जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये थी।



बीआईएस गुवाहाटी शाखा कार्यालय ने असम के गोलपाड़ा जिले के आगिया स्थित पॉल हॉलमार्किंग सेंटर के परिसर में तलाशी एवं प्रवर्तन कार्रवाई की। जाँच के दौरान पाया गया कि यह प्रतिष्ठान बिना वैध अनुमति के परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र के रूप में संचालित हो रहा था और अवैध रूप से हॉलमार्किंग गतिविधियों में संलग्न था। कार्रवाई के दौरान लेजर मार्किंग मशीन, पीवीसी कार्ड प्रिंटर, नकली बीआईएस चिह्न वाले पीवीसी कार्ड तथा फर्जी हॉलमार्किंग वाले 15,180 ग्राम आभूषण जब्त किए गए।

बीआईएस जमशेदपुर शाखा कार्यालय ने 21 अगस्त 2026 को धनबाद के गोविंदपुर स्थित जी.टी. रोड पर एक आभूषण प्रतिष्ठान के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई की। इस दौरान बीआईएस टीम ने प्रतिष्ठान से 140 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए। जांच में पाया गया कि प्रतिष्ठान वैध बीआईएस लाइसेंस के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री कर रहा था। यह सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने वाले गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन है।



उद्योग - शैक्षणिक संस्थान साझेदारी

मेडिकल उपकरणों की गुणवत्ता संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने में मानकों पर राष्ट्रीय सेमिनार

बीआईएस ने 19 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में 'मेडिकल उपकरणों की गुणवत्ता संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने में मानक' विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। इसमें मानकीकरण, विनिर्माण, नियमन, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक खरीद से जुड़े 300 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में बीआईएस की उप महानिदेशक (मानकीकरण) श्रीमती रीना गर्ग शामिल हुईं। अपने उद्घाटन संबोधन में उन्होंने मेडिकल उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा और कार्य-प्रदर्शन सुनिश्चित करने में मानकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने नियामकों, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा संस्थानों और अन्य हितधारकों के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मानक विनिर्माण, नियमन और सार्वजनिक खरीद को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आईएसओ और आईईसी जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने में बीआईएस की भूमिका को भी रेखांकित किया, ताकि अंतरराष्ट्रीय मानकों में देश की प्राथमिकताओं को शामिल किया जा सके। कार्यक्रम में बीआईएस, सीडीएससीओ, एनएचएसआरसी, एम्स, आईसीएमआर और मेडिकल उपकरण उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस दौरान मानक विकास से लेकर विनिर्माण, नियमन, सार्वजनिक खरीद और स्वास्थ्य सेवाओं में मेडिकल उपकरणों के उपयोग तक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा की गई। चर्चाओं में सुरक्षित मेडिकल उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

मानकीकरण पर ओडिशा में राज्य-स्तरीय समिति की तीसरी बैठक

मानकीकरण पर राज्य स्तरीय समिति की तीसरी बैठक 11 अगस्त 2026 को ओडिशा के लोक सेवा भवन में मुख्य सचिव श्रीमती अनु गर्ग (आईएस) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राज्य में मानकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, उपभोक्ता संरक्षण तथा भारतीय मानकों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के उपायों पर चर्चा की गई।



बीआईएस ने ओडिशा में अपनी गतिविधियों और नई पहलों की जानकारी प्रस्तुत की, जिसके बाद समिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए -

क्षमता निर्माण: राज्य सरकार के विभागों को बीआईएस के सहयोग से मानकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी गई। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अभियंताओं, जिनमें कनिष्ठ अभियंता भी शामिल हैं, के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया।

प्रशासनिक प्रशिक्षण: समिति ने गोपाबंधु प्रशासन अकादमी के इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 'मानकीकरण और गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र' विषय पर सत्र शामिल करने की सिफारिश की। मधुसूदन प्रशासनिक अकादमी द्वारा पहले ही इस विषय को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जा चुका है।

सार्वजनिक खरीद: विभागों को सार्वजनिक खरीद में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित भारतीय मानकों का अनुपालन करने तथा बीआईएस मानक चिह्न वाले उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की सलाह दी गई।

उपभोक्ता सशक्तीकरण: समिति ने बीआईएस केयर ऐप के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया तथा आमूषण प्रतिष्ठानों पर इसे प्रमुखता से प्रदर्शित करने की सिफारिश की, ताकि उपभोक्ता हॉलमार्क और बीआईएस मानक चिह्न वाले उत्पादों का सत्यापन आसानी से कर सकें।

सुरक्षित पेयजल: डब्ल्यूएटीसीओ तथा ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग को IS 17482:2020 - पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली: पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति सेवा के लिए आवश्यकताएँ के अंतर्गत कार्यान्वयन और प्रमाणन के लिए एक पायलट परियोजना पर विचार करने की सलाह दी गई।

मानक क्लब: पूरे ओडिशा के विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में मानक क्लबों को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रस्ताव रखा गया।

लिफ्ट सुरक्षा: समिति ने लिफ्ट में सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक भारतीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त नियमों और विनियमों की आवश्यकता पर जोर दिया।

बीआईएस अवसंरचना: समिति ने ओडिशा में एक एकीकृत अत्याधुनिक बीआईएस कार्यालय-सह-प्रयोगशाला परिसर स्थापित करने का समर्थन किया। इसमें सोना, चांदी, इस्पात और एल्युमिनियम के परीक्षण को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में प्रयोगशाला सहायता, अंतर-विभागीय समन्वय और राज्य स्तरीय समिति के कार्यों को सुदृढ़ करने से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई। समिति ने निर्णय लिया कि प्रगति की समीक्षा तथा महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श के लिए इसकी बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जानी चाहिए।

साइबर सुरक्षा और प्राइवसी पर सेमिनार: मानकों के ज़रिए

उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना

बीआईएस ने आईआईटी रुड़की में बीआईएस चेयर के सहयोग से 19 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक (एनबीसीएस 2026) पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में बीआईएस के वरिष्ठ अधिकारियों एवं तकनीकी विशेषज्ञों, संकाय सदस्यों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और पेशेवरों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय भवन मानकों में किए गए नवीन परिवर्तनों तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना था।

कार्यक्रम में आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. के.के. पंत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बीआईएस के उप महानिदेशक (मानकीकरण) भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आईआईटी रुड़की में बीआईएस चेयर प्रोफेसर प्रो. दीपक खरे ने क्विज़, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों एवं शैक्षणिक समुदाय के बीच भारतीय मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया।

तकनीकी सत्रों में बीआईएस के वैज्ञानिक 'डी' एवं संयुक्त निदेशक (सिविल इंजीनियरिंग) श्री अभिषेक पाल ने 'राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक (एनबीसीएस 2026) का अवलोकन', श्री संदीप गोयल ने 'एनबीसीएस 2026 के अग्रे एवं जीवन सुरक्षा संबंधी पहलू' तथा बीआईएस के एससीएमडी प्रमुख श्री दीपक अग्रवाल ने 'मानकीकरण में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका' विषय पर प्रस्तुतियाँ दीं। कार्यशाला के अंतर्गत आयोजित खुले संवादात्मक सत्र में प्रतिभागियों को एनबीसीएस 2026 के व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा करने तथा अपने विचार एवं प्रश्न साझा करने का अवसर मिला।

बीआईएस ने 'डिजिटल युग में भौतिक दुनिया का अभियांत्रिकीकरण' विषय पर सेमिनार आयोजित किया

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा 25 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित मानक भवन में 'डिजिटल युग में भौतिक दुनिया का अभियांत्रिकीकरण: मानकों के माध्यम से उपभोक्ता-केंद्रित कनेक्टेड सिस्टम' विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत, अनुसंधान, वित्त, रक्षा तथा मानक संस्थाओं से जुड़े विशेषज्ञों और हितधारकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में डिजिटल युग में भौतिक प्रणालियों और तकनीकों को उपभोक्ता-केंद्रित एवं आपस में जुड़ी प्रणालियों के रूप में विकसित करने में मानकों की भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया। संगोष्ठी में IoT, डिजिटल द्विन, Li-Fi और उभरती प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता पर चर्चा की गई। इन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से बुद्धिमान उद्योगों, कनेक्टेड अवसंरचना और डिजिटल परिवर्तन को सक्षम बनाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। चर्चाओं में वास्तविक समय में संवेदन, अनुकरण, पूर्वानुमान और सूचित निर्णय लेने के लिए IoT, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), एज AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्वचालन और डिजिटल द्विन के अभिसरण पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कनेक्टेड प्रौद्योगिकियों को व्यापक स्तर पर अपनाने के लिए अंतरसंचालनीयता, खुले प्रोटोकॉल, साइबर सुरक्षा, निजता, डेटा की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और मानकों के अनुरूपता के महत्व पर जोर दिया। संगोष्ठी के दौरान निम्नलिखित भारतीय मानकों पर भी चर्चा की गई: IS 19386:2025 - इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और डिजिटल द्विन - शब्दावली, IS 19394:2025 - डिजिटल द्विन - अवधारणाएँ और पारिभाषिक शब्दावली, IS 19395:2025 - इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) - रियल-टाइम IoT फ्रेमवर्क, IS 19398:2025 - इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) - औद्योगिक IoT प्रणालियों के भीतर उपकरणों के लिए संगतता आवश्यकताएँ और मॉडल, IS 19403:2025 - इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) - विश्वसनीयता के सिद्धांत, IS 19416:2025 - इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) - डिजिटल द्विन - उपयोग के मामले, IS 19629:2026 - इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) - तनाव प्रबंधन, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए IoT, IS/ISO/IEC 21823 (भाग 1-4) - IoT प्रणालियों के लिए अंतर संचालनीयता।

आयुर्वेद के लिए वैश्विक गुणवत्ता मानक स्थापित करने हेतु सीसीआरएएस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर

बीआईएस ने 7 अगस्त 2026 को आयुष क्षेत्र की प्रमुख संस्था 'सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज' (सीसीआरएएस) के साथ अपना पहला समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित कर एक महत्वपूर्ण संस्थागत उपलब्धि हासिल की। सीसीआरएएस, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यरत सबसे बड़ी अनुसंधान संस्थाओं में से एक है। इस समझौता ज्ञापन पर सीसीआरएएस के महानिदेशक और बीआईएस के उप महानिदेशक (मानकीकरण-II) ने आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आयुष क्षेत्र के लिए गुणवत्ता मानकों, अनुरूपता मूल्यांकन, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना तथा अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण पहलों में भारत की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह समझौता बीआईएस की विश्वस्तरीय मानकीकरण क्षमताओं और सीसीआरएएस की आयुर्वेद अनुसंधान संबंधी विशेषज्ञता के बीच रणनीतिक सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

मानक संवर्धन

लेह, लद्दाख के विनिर्माताओं के साथ एमएसएमई बैठक



बीआईएस की जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय ने 25 अगस्त 2026 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थानीय विनिर्माताओं के साथ एमएसएमई बैठक का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण समुदाय के बीच भारतीय मानकों, बीआईएस प्रमाणन, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और सरकारी खरीद में मानकों के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माताओं को उनके उत्पादों पर लागू भारतीय मानकों की जानकारी दी गई। बैठक में सरकारी खरीद में भारतीय मानकों के प्रभावी उपयोग पर ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी), लद्दाख लोक निर्माण विभाग (एलपीपीडी) और ग्रामीण अभियांत्रिकी विंग (आरईडब्ल्यू) के अधिकारियों को भी जागरूक किया गया। बीआईएस अधिकारियों ने तकनीकी विनिर्देश और खरीद संबंधी दस्तावेज तैयार करते समय, जहां भी आवश्यक हो, लागू भारतीय मानकों को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला। स्थानीय विनिर्माण समूहों के साथ निरंतर संवाद से ऐसे उत्पादों की पहचान करने में सहायता मिल सकती है, जिनके लिए बीआईएस प्रमाणन की संभावनाएं मौजूद हैं। इससे मानकों को व्यापक रूप से अपनाने और स्थानीय उद्योग में गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही, सरकारी विभागों को मानक-आधारित खरीद के प्रति जागरूक करने से गुणवत्ता-अनुरूप उत्पादों की मांग को बढ़ावा मिल सकता है तथा विनिर्माताओं को मान्यता प्राप्त गुणवत्ता आवश्यकताओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।



प्रशिक्षण कैलेंडर : सितंबर 2026

प्रशिक्षण कार्यक्रम	तिथि	स्थान	शुल्क
प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एवं आंतरिक लेखापरीक्षा IS/ISO/IEC 17025:2017	08-11 सितंबर 2026	एनआईटीएस	13000
मापन अनिश्चितता — रसायन	17-18 सितंबर 2026	ईआरओ	7000
प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एवं आंतरिक लेखापरीक्षा - IS/ISO/IEC 17025:2017	22-25 सितंबर 2026	बीएनबीएल	13000
मापन अनिश्चितता - यांत्रिक	28-29 सितंबर 2026	एनआईटीएस	7000
सुरक्षा एवं प्रत्यास्थता - व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली पर 2-दिवसीय दस्तावेजीकरण, जागरूकता एवं आंतरिक लेखापरीक्षा पाठ्यक्रम, IS/ISO 22301:2019 के अनुसार	28-29 सितंबर 2026	एनआईटीएस	7000

स्पोर्ट्स फुटवियर, सैंडल और स्लिपर के लिए भारतीय मानकों पर

'मानक मंथन'

बीआईएस ने 27 अगस्त 2026 को चेन्नई स्थित अपने शाखा कार्यालय में 'मानक मंथन' कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें फुटवियर विनिर्माण उद्योग तथा उत्पादन, परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन से जुड़े अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य फुटवियर क्षेत्र में गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकीकरण को बढ़ावा देना था। साथ ही, IS 15844 (भाग 1):2023, IS 15844 (भाग 2):2023, IS 15844 (भाग 3):2024, खेल जूतों से संबंधित भारतीय मानकों तथा IS 6721:2023 - सैंडल एवं चप्पल में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और हितधारकों के साथ संवाद को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। कार्यक्रम का समापन खुले एवं संवादात्मक सत्र तथा फीडबैक सत्र के साथ हुआ। इसमें प्रतिभागियों को बीआईएस अधिकारियों के साथ चर्चा करने, अपने प्रश्नों के स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा फुटवियर उत्पादों के लिए मानकों और गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अपने सुझाव साझा करने का अवसर मिला।

पुणे में एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों के साथ बैठक आयोजित

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के पुणे शाखा कार्यालय द्वारा 31 अगस्त 2026 को एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों (एएचसी) के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुणे शाखा कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 10 जिलों के 68 एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों ने भाग लिया। विभिन्न केंद्रों के 48 प्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित रहे। बैठक के दौरान प्रतिभागियों को परख एवं हॉलमार्किंग केंद्रों से संबंधित दिशा-निर्देशों में हुए नवीनतम बदलावों और प्रावधानों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही ज्वेलर्स से संबंधित दिशा-निर्देशों में शामिल नवीनतम प्रावधानों एवं आवश्यकताओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस संवाद बैठक के माध्यम से एएचसी प्रतिनिधियों को अद्यतन आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने, व्यावहारिक स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करने तथा भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों से अपने प्रश्नों और दुविधाओं का समाधान प्राप्त करने का अवसर मिला। बैठक को प्रतिभागियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। एएचसी प्रतिनिधियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे नवीनतम आवश्यकताओं एवं अनुपालन संबंधी प्रावधानों को समझने की दृष्टि से जानकारीपूर्ण, उपयोगी और लाभदायक बताया।

हरियाणा के रायपुर रानी में शाइन प्रोग्राम

बीआईएस हरियाणा शाखा कार्यालय ने 4 अगस्त 2026 को रायपुर रानी के तहसील कार्यालय में महिलाओं के बीच उपभोक्ता जागरूकता और सूचित खरीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम रायपुर रानी महिला ब्लॉक संगठन (क्लस्टर लेवल फेडरेशन) के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और फेडरेशन से जुड़ी 27 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को बीआईएस मानकों, गुणवत्ता प्रमाणन, हॉलमार्किंग और उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में जागरूक करना था, ताकि वे खरीदारी के दौरान सोच-समझकर निर्णय ले सकें। इस कार्यक्रम के आयोजन के साथ बीआईएस हरियाणा शाखा कार्यालय ने पूरे हरियाणा में अब तक 41 शाइन कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनके माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 1,080 महिलाओं तक पहुंच बनाई गई है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की पहचान, बीआईएस प्रमाणन, हॉलमार्किंग और उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में जानकारी दी जा रही है, ताकि वे सूचित खरीदारी संबंधी निर्णय ले सकें और इस जानकारी को अपने समुदायों तक पहुंचा सकें।

भारतीय मानक

भारत का भरोसा प्रश्नोत्तरी

पांडेय सचिदानंद जी
द्वितीय स्थान

रचना रानी
प्रथम स्थान

रिम्पी गर्ग
तृतीय स्थान

₹25,000

₹25,000

₹10,000

सभी विजेताओं को बधाई!

गुणवत्ता के प्रति सजग राष्ट्र के निर्माण में भारतीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए आपका धन्यवाद।

सभी विजेताओं की सूची

Follow us on: @Indianstandards | Website: www.bis.gov.in